निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /CT-25/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-**III,** वाणिज्य कर हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-**III,** वाणिज्य कर हरिद्वार के माह 04/16 से 03/17 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सिराज हुसैन एवं श्री नीरज कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 27.05.17 से 05.06.17 तक श्री एन0के0 सिन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)**परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा नई इकाई (New Unit) सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री --------------लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक ----------से -----------तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह ------------से ------------ तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह ………… से ………. तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः – कर-निर्धारण, रोशनाबाद आदि

(ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹लाख मे)
2016-17	23653.36
2015-16	कार्यालय अक्टूबर 2015 मे निर्मित

(ii)(c) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(₹ लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय `	अभ्यर्पित राशि
	लागू नहीं		

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
		शून्य			

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई --A----श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, वित्त आयुक्त कर, वाणिज्य कर अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर, वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-**III,** वाणिज्य कर हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह.....03/17........को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह ....को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा</u>

भाग-2 'ख'

प्रस्तर-1 कर का न्यूनारोपण ₹ 4.45 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(ख)(i)(ई) मे यह प्रावधान किया गया है, कि किसी भी अनुसूची मे सम्मिलित माल से भिन्न माल के संबंध मे करदेयता 12.5% की दर से निर्धारित की गई है। इस पर दिनांक 01.04.2010 से 1% की दर से अतिरिक्त कर भी देय है।

डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-**III,** वाणिज्य कर हरिद्वार के अभिळेखो की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे निम्नाकित कमियां पाई गयी।

1.व्यापारी सर्वश्री आदित्या कमपोनेन्टस, बहदराबाद, हरिद्वार, कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा संगत वर्ष मे ₹14635535/- की आंटो पार्टस की बिक्री धारा 25(7) के अन्तर्गत तथा ₹88880/- की आँटो पार्टस की बिक्री धारा 9(2) के अन्तर्गत 5% की दर से की गयी। जबकि उक्त वस्तु उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की किसी भी अनुसूची से आच्छादित नही है। अत: उक्त की बिक्री पर 13.5% की दर से करारोपणीय होगा। इस प्रकार आंटो पार्टस की कुल बिक्री 4724415/- (4635535+88880) पर अन्तरीय कर दर 8.5% से ₹401575/- का अतिरिक्त कर-आरोपणीय होगा। साथ ही नियमानुसार ब्याज भी आरोपणीय है।

2. व्यापारी सर्वश्री रायल एयर प्रोडक्ट, ई-35, इण्डस्ट्रीयल एरिया, बहदराबाद, हरिद्वार करनिर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा सगंत वर्ष मे ₹515324/- की इण्डस्ट्रीयल गैस की बिक्री 5% की दर से की गई। जबकि उक्त वस्तु उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की किसी भी अनुसूची से आच्छादित नही है। अत: उक्त की बिक्री पर 8.5% की दर से ₹43803/- का अतिरिक्त करारोपणीय होगा। साथ ही नियमानुसार ब्याज भी आरोपणीय है।

उपरोक्त के सन्दर्भ मे इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बिन्तु संख्या (1) के उत्तर मे बताया गया कि बिक्री की गयी वस्तु सामान्य टूल है। विभाग का उत्तर मान्य नही है क्योंकि व्यापारी द्वारा आंटो काम्पोनेन्टस का निर्माण कर बिक्री की जाती है। अत बिक्रित वस्तु आँटो पार्टस है। न कि टूल्स । बिन्दु संख्या (2) के उत्तर मे विभाग द्वारा बताया गया कि बिक्री की गई वस्तु इण्डस्ट्रियल आँक्सीजन है। जो कि शैड्यूल II-B के क्रमांक-135 पर अंकित है। विभाग का उत्तर मान्य नही है। क्योंकि कर-निर्धारता आदेश से स्पष्ट है, कि बिक्रित वस्तु इण्डस्ट्रियल गैस है। तथा कर-निर्धारता अधिकारी द्वारा अपने उत्तर के समर्थन मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया.

अत: ₹445378/- के कर के न्यूनारोपण का प्रकरण उच्चाधिकारियो के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-2 'ख'

प्रस्तर-02 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹5.28 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अन्तर्गत किसी व्योहारी ने युक्ति-युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नही किया है तो वह देय कर का कम से कम दस प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत, यदि कर ₹10000 तक हो और देय कर का 50% यदि कर ₹10000 से अधिक हो का दायी होगा।

डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-III, वाणिज्य कर हरिद्वार के अभिलेखों के जांच मे पाया गया कि 02 व्यापारियों द्वारा विभिन्न माहो मे देय कर की कुल राशि ₹5280597/- को विलम्ब से जमा किया था।

अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के प्रावधानो के अन्तर्गत नियमानुसार ₹528059/- का अर्थदण्ड आरोपणीय है.

उक्त के संबंध मे इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

अत: ₹528059/- के अर्थदण्ड का अनारोपण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर की राशि	कर जमा करने का दिनांक	अर्थदण्ड (10%)

भाग-2 'ख'

प्रस्तर-03 कर का अनारोपण (₹1077861)

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-4(2) के प्रावधानो के अनुसार अवर्गीकृत वस्तुओ की बिक्री पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय होगा।

डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-III, वाणिज्य कर हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि व्योहारी सर्वश्री आटो कम्पोनेन्ट, प्लाट न 27, से0-04 सिडकुल, हरिद्वार कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के बाद मे व्योहारी द्वारा अपने संगत वर्ष के फिकस्ड एसेट्स (Fixed Assets) के अनुसूची से ₹7984158/- के टूल्स एवं डाईस को हटा लिया गया था जिसपर नियमानुसार 13.5% की दर से ₹1077861/- का कर आरोपणीय था जो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नही किया गया था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संदर्भित प्रकरण मे नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया जिसकी सम्प्रेक्षा मे प्रतीक्षा रहेगी।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
	निरंक	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

व्यय से संबन्धितः - शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-**III,** वाणिज्य कर हरिद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री वीर सिंह	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-**III,** वाणिज्य कर हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र